



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2612085-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/4430

दिनांक:- 11/10/22

-:कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शारान विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 06/2022 वी बैठक दिनांक 19.09.2022 को उपायुक्त (परिवहन) की अध्यक्षता में उनके कक्षा में सम्पन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजरव ग्राम चौखा के खसरा संख्या 716 रकबा 18.11 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अतगत करवाया गया कि :-

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 55.5 प्रतिशत भूखण्डों पर मकान निर्मित है एवं प्रस्तावित योजना को मौके पर 100 फीट का मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 30027.67 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 27266.06 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पैरा संख्या 02 की अवाप्ति रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 716 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
4. पत्रावली के पैरा संख्या 07 की विधि रिपोर्ट अनुसार राजरव ग्राम चौखा के खसरा संख्या 716 में कोई वाद लपेटा नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 22-23 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौके पर 90 फीट व राजरव रिकॉर्ड अनुसार 25 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. पत्रावली में संलग्न सर्वे प्लान एवं ट्रेस मैप अनुसार प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 686 स्थित है। राजस्थान सरकार राजरव मण्डल की जमाबन्दी सूचना अनुसार राजरव ग्राम चौखा का खसरा संख्या 686 में मकान है। उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाएँ।
7. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 18 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित खसरा संख्या 686 के सहारे वृक्षारोपण पट्टी, दक्षिण दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट सड़क एवं अन्तराल सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	14589.16	53.51
2.	वॉटर बाडी के सहारे वृक्षारोपण पट्टी	2869.68	10.52
3.	सड़क	9807.22	35.97
	कुल	27266.06	100.00

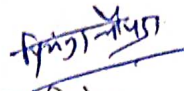
निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

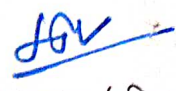
01. भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सड़क भूखण्ड से 30 मीटर भूमि से प्रभावित भूखण्डों को सड़क मार्गाधिकार हेतु नि:शुल्क समर्पित करवाया जाएँ।
02. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 7 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जाएँ।
03. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में जोन स्तर से सुनिश्चितता की जानी अपेक्षित है।
04. समिति द्वारा बाद विचार विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 686 मै.मु. नदी है एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार नदी के सहारे 30 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।
05. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करने के समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
06. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 7 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जाएँ।

उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाये कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।


तहसीलदार
जोधपुर विकास प्राधिकरण

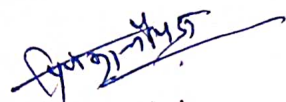

सहायक/अधिशायी अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण


उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण


उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2022/4432 to 36 दिनांक:- 11/10/22
प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त पश्चिम, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशायी अभियन्ता पश्चिम, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार पश्चिम, जो.वि.प्रा., जोधपुर

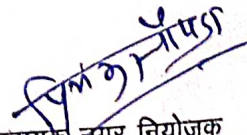

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-"1"

जोन स्तरीय समिति की 06/2022 वीं बैठक दिनांक 19.09.2022 को उपायुक्त (पश्चिम) की अध्यक्षता में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक आयोजना, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
2. श्री रविन्द्र कुमार, उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
3. श्री सुबोध माथुर, अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
4. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
5. प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
6. प्रतिज्ञा सोनी, तहसीलदार जो.वि.प्रा. जोधपुर।

विशेष आमंत्रित
संयोजक
सदस्य
विशेष आमंत्रित
सदस्य सचिव
सदस्य


सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर